



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102026-277330
CG-DL-E-22102026-277330

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5494]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 2026/आश्विन 29, 1948

No. 5494]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2026/ASVINA 29, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5711(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, समाहरणालय, शिवहर (No Yet to be Assigned) के कि.मी 72.55 किमी से 100.6 किमी बिहार राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-No Yet to be Assigned पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to be Assigned के कि.मी 72.55 से कि.मी 100.6 तक	बिहार	शिवहर	तरिकनि चौक	1 बैजनाथपुर 2 पोझियान 3 बोचहां उर्फ आज रकबे पोझिअ 4 फतेहपुर घौसपुर 5 समहुति 6 रामपुर खास 7 नंदना

[फा. सं. Greenfield Expressway from Raxaul to Haldia Port (Pacakge-1)]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2026

S.O. 5711(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 72.55 to 100.6 of District Land Acquisition Office, Collectorate, Sheohar (No Yet to be Assigned) in the State of BIHAR.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. No Yet to be Assigned in the State of BIHAR.**

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	District Land Acquisition Officer	No Yet to be Assigned KM 72.55 TO KM 100.6	BIHAR	SHEOHAR	Tariani Chowk 1 2 3 4 5 6 7	Bajjnathpur Pojhian Bochhan urf Az Rakbe Pojhian Fatehpur Ghauspur Samhuti Rampur Khas Nandna

[F. No. Greenfield Expressway from Raxaul to Haldia Port (Pacakge-1)]

SHAIKH AMINKHAN, Director